

07.04.2026 :

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता विद्वान एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न देने का कथन करते हुए इस आशय की टिप्पणी का अंकन जमानत प्रार्थनापत्र व आदेशपत्र के हाशिये पर किया गया। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने के कारण तदनुसार बिना गुण-दोष पर विचार किये निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

07.04.2026